1-5-18

आज पत्रावली कैम्प कोर्ट मोन्दा
में पेश हुई। वकील वादी उप०।
पैरोकार सरकार उप०। बहस सुनी गई।
वाद वादी सिद्ध नहीं होने से खारिज
किया जाता है। निर्णय पृथक से शामिल
किया गया। मिसल बाद तकमील होकर दाखिल
रिकार्ड हो।
सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)
कैम्प कोर्ट ग्राम पं. मु. मांचा दिनांक 1-5-18
==
अध्यासित द्वारा :- श्री सुभाष यादव आर.ए.एस.

दावा संख्या 40

प्रवेश तिथि 18-4-17

निर्णय तिथि 1-5-18

उनवान

1- सतपाल पुत्र बुल्लीराम जाति चमार (मेघवाल) निवासी मांचा तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :- वादी

बनाम

1- राज. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील किशनगढ़-बास :-प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थिति :- 1- श्री आबिद अहमद वकील वादी की ओर से ।
2- पैरोकार सरकार प्रति. की ओर से ।

:: निर्णय ::

पत्रावली पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं :- वादी ने वाद पेश किया कि साबिक ख. नं. 997/22-10 में से 1-15 बिस्वा हाल ख. नं. 1417/1618/1-15 वाके ग्राम मांचा विवादित आराजी है।

उक्त आराजी दिनांक 24-9-75 को प्रार्थी के पिता स्व0 बुल्ली राम पुत्र श्री मलूका जाति चमार निवासी मांचा को अलोट होकर राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में काबिज काश्त गैरखातेदार दर्ज है। मृतक बुल्लीराम का एक मात्र वादी विधिक वारिस उत्तराधिकारी है। अन्य कोई वारिस नहीं है। वादी का पिता बुल्लीराम पुत्र मंगतूराम जाति चमार निवासी मांचा का वास्तविक नाम था परन्तु मंगतूराम का देहान्त बाल अवस्था में हो जाने के कारण बुल्लीराम पुत्र मलूका राम के नाम से जाने लगा क्योंकि बुल्लीराम का दादा मलूका ने ही बुल्लीराम की परिवरिश की थी तथा लोग बुल्लीराम के पिता मंगतूराम के स्थान पर मलूका को ही बुल्लीराम का पिता समझने लगे और इसी गलतफमी की वजह से आवंटन होते समय बुल्लीराम के पिता के नाम मंगतूराम के स्थान पर मलूका बतलाया गया और उसी गलती की वजह से राजस्व रिकार्ड में बुल्लीराम पुत्र मलूका दर्ज हो गया है। इस प्रकार विवादित आराजी में वादी की कब्जा काश्त गैरखातेदारी की आराजी है जिस पर मैं बहैसियत गैरखातेदार काश्तकार काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं मौके पर मेरा कब्जा है एवं फसल काश्त की हुई है।

--2--

उक्त गलत इन्द्राज का इन्तकाल नं. 219 दर्ज करते समय प्रार्थी के पिता बुल्ली पुत्र मलूका जाति मेव निवासी मांचा दर्ज कर दिया जो गलत है क्योंकि प्रार्थी जाति से चमार है और अलोटमेंट में भी प्रार्थी के पिता की जाति चमार दर्ज की हुई है परन्तु इन्तकाल दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से जाति चमार के स्थान पर मेव दर्ज करदी गई है जिसे भी प्रार्थी दुरुस्त कराने का अधिकारी है।

अन्त में वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किये जाने की प्रार्थना की है:-

{अ} डिक्री इज्राय इस्तकरारहक बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी आ.ख.नं. 1417/1618 रकबा 0.4400है, वाके ग्राम मांचा तहसील किशनगढ-बास में वादी को मालिक काश्तकार गैरखातेदार घोषित किया जावे।

{ब} डिक्री दुरुस्ती इन्द्राज बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी पारित की जाकर घोषित किया जावे कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड अलोटमेंट जमाबन्दी व इन्तकाल अलोटमेण्ट में मुद्दई वादी के बुजुर्गान का जो गलत नाम बुल्ली पुत्र मलूका जाति मेव का नाम का अंकन बतौर गैरखातेदार आया है इस अंकन को मुद्दई वादी के हक हकूकों के विरुद्ध बातिल व बेअसर करार दिया जाकर हजफ कर इसके स्थान पर बुल्ली पुत्र मंगतूराम जाति चमार दर्ज किया जाकर मुद्दई वारिस वादी को बह बहैसियत गैरखातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड अंकन कराया जावे।

{स} हर्जा खर्चा मुकदमा का वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे ।

{द} दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान मुनासिब समझे बहक वादी बख्शी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने आज कोर्ट कैम्प में वकील वादी की बहस के दौरान जबाब में बताया कि दिनांक 24-9-75 को बुल्ली पुत्र मलूका के नाम से आवंटन की गई है प्रार्थी द्वारा जिस नाम से आवेदन हेतु प्रा.पत्र पेश किया उसी नाम से अलोट होकर ही आवंटन अनुसार नाम दर्ज हुवा है इसलिए वादी का वाद गलत है स्वीकार नहीं है जहां तक वादी का कथन है कि इन्तकाल में जाति गलत अंकित करदी गई तो इस हेतु प्रार्थी को उक्त इन्तकाल की अपील करनी चाहिये थी। वाद के जरिये वादी किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है वाद काबिल खारिज है। वाद खारिज फरमाया जावे। वकील वादी ने बताया कि आवंटन के समय पिता के नाम के बजाय सहवन से दादा का नाम अंकित करदिया गया जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। इन्तकाल में गलत जाति दर्ज की गई है उसे वाद में दुरुस्त किया जा सकता है। अतः वाद

Scanned by CamScanner

वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादी एवं पैरोकार को सुनने के पश्चात् सरपंच ग्राम पंचायत से भी जानकारी ली गई। सरपंच ग्राम पंचायत ने बताया कि बुल्ली पुत्र मंगतू जाति चमार निवासी मांचा का है इसके दादा का नाम मलूका था इसके बाप का नाम मंगतू है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। नकल आवंटन प्रोसीडिंग रजिस्टर दिनांक 24-9-75 के अवलोकन से साबित है कि तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढ़-बास द्वारा बुल्ली पुत्र मलूका के नाम से आ. ख. नं. 1451/1-05, 1417/1-15 कुल 3 बीघा भूमि कीमतन 625/= प्रति बीघा की दर से आवंटन की गई है। चूँकि भूमि तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर द्वारा आवंटन की गई है जिस आवंटन दुरुस्ती का अधिकार क्षेत्र न्यायालय हाजा को नहीं है तथा आवंटन आदेश अनुसार जो इन्तकाल नं. 219 दर्ज किया गया उसमें वादी की जाति चमार के स्थान पर मेव दर्ज की गई है वह इन्तकाल तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है जिस इन्तकाल को सुनने का क्षेत्राधिकार भी न्यायालय हाजा को नहीं है। इस प्रकार वाद वादी साबित नहीं होता है। वाद काबिल खारिज है।

अतः आदेश है कि:-

वाद वादी बाबत आ. ख. नं. 1417/1618 रकबा 0.4400 है, वाके ग्राम मांचा तहसील किशनगढ़-बास वाद सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय कैम्प कोर्ट ग्राम पं. मु. मांचा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)
कैम्प कोर्ट मांचा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– श्री सुभाष यादव आर.ए.एस. किशनगढबास

मुकदमा नं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
40	18.4.17	15.5.18

उनवान

1. सतपाल पुत्र बुल्लीराम जाति चमार निवासी सेवखेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:–वादी:–

बनाम

2. राज0सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगढबास

:–प्रतिवादी:–

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0)

उपस्थिति:–1श्री खुर्शीद अहमद वकील वादी की ओर से।
2. पैरोकार सरकार प्रति0की ओर से।

पर्चा डिकी

वाद वादी बाबत आ0ख0न0 1417/1618 रकबा 0.4400है, वाके ग्राम मांचा तहसील किशनगढबास वाद सिद्व नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned by CamScanner